न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमंडी, जिला कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - अजय प्रताप सिंह

सीएनआर संख्या - RJKT11-001189-2015

सीआईएस संख्या - 1140/2015

प्रकरण संख्या - 1021/2015

एफआईआर संख्या - 380/2015

पुलिस थाना - रामगंजमंडी, जिला कोटा

राजस्थान राज्य बनाम अहमद हुसैन

अपराध अन्तर्गत धारा – 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

शिकायतकर्ता	**राजस्थान सरकार**
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से
अभियुक्त का नाम व विवरण	अहमद हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन, उम्र- 35 साल, निवासी हनुमान मंदर के पास, भीमशंकर कॉलोनी, रामगंजमंडी, पुलिस थाना रामगंजमंडी, जिला कोटा (राजस्थान)
अधिवक्ता अभियुक्त	अधिवक्ता श्री माजिद अख्तर
अपराध की दिनांक	-
एफआईआर की दिनांक	17.10.2015
चालान प्रस्तुत करने की दिनांक	12.12.2015
आरोप गठन की दिनांक	14-02-2017
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ	10-07-2017
अभियोजन साक्ष्य समाप्त	08-08-2023
बचाव साक्ष्य	01.02.2024 से 02.02.2024
निर्णय सुरक्षित रखने की दिनांक	निल
निर्णय दिनांक	18-07-2026

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ० अभियोजन साक्षीगण

क्रम	गवाह	साक्ष्य का प्रकार
पी.डब्ल्यू.-01	रिहाना बी	परिवादिया
पी.डब्ल्यू.-02	मोहम्मद हुसैन	परिवादिया के पिता
पी.डब्ल्यू.-03	रियाज मोहम्मद उर्फ राजू	रिश्तेदार गवाह
पी.डब्ल्यू.-04	गंगाराम	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू.-05	रामनिवास	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू.-06	राजमल	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू.-07	मोहम्मद हुसैन	गिरफ्तारी/जब्ती गवाह
पी.डब्ल्यू.-08	निसार अहमद	जब्ती गवाह
पी.डब्ल्यू.-09	हर्षराज	अनुसंधान अधिकारी

ब. बचाव साक्षीगण

क्रम	गवाह	साक्ष्य का प्रकार
डी.डब्ल्यू.-01	अहमद हुसैन	अभियुक्त

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

क्रम	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी-01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी-02	विवाह कार्ड
3	प्रदर्श पी-03	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी
4	प्रदर्श पी-04	गिरफ्तारी फर्द
5	प्रदर्श पी-05	स्त्रीधन जब्ती फर्द
6	प्रदर्श पी-06	धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस

क्रम	**प्रदर्श**	**विवरण**
7	प्रदर्श पी-07	मोटरसाइकिल आर.सी. की प्रति
8	प्रदर्श पी-08	धारा 41ए सीआरपीसी का नोटिस
9	प्रदर्श पी-09	चेकलिस्ट

बचाव पक्ष के प्रदर्श

क्रम	**प्रदर्श**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी-04	गरोठ न्यायालय का निर्णय
2	प्रदर्श डी-04ए	निर्णय की प्रतिलिपि
3	प्रदर्श डी-06	पुलिस शिकायत/बयान
4	प्रदर्श डी-06ए	उसकी प्रतिलिपि
5	प्रदर्श डी-07	महिला थाना कोटा की कार्यवाही
6	प्रदर्श डी-07ए	आदेशिका की प्रतिलिपि

आर्टिकल

क्रमांक	**आर्टिकल**	**विवरण**
निल	निल	निल

-: निर्णय:-

दिनांक **18.07.2026**

01. थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगंजमंडी द्वारा अभियुक्त अहमद हुसैन के विरुद्ध धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका अंतिम निस्तारण इस निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया रिहाना बी का विवाह वर्ष 2003 में अभियुक्त अहमद हुसैन के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से सम्पन्न

हुआ। विवाह के समय उसके पिता मोहम्मद हुसैन द्वारा पर्याप्त दहेज सामग्री, जिसमें मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामग्री सम्मिलित थी, अभियुक्त पक्ष को प्रदान की गई। विवाह के पश्चात प्रारम्भिक कुछ समय तक वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, किन्तु तत्पश्चात अभियुक्त अहमद हुसैन द्वारा परिवादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता करना प्रारम्भ कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा पहले कार तथा बाद में ₹10,00,000/- की मांग की जाती थी तथा मांग पूरी नहीं होने पर परिवादिया के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया जाता था। वर्ष 2008 में भी इसी प्रकार की प्रताड़ना के कारण गरोठ में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें बाद में पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया तथा अभियुक्त द्वारा भविष्य में प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया गया। समझौते के पश्चात अभियुक्त कुछ समय तक गरोठ में रहकर मेडिकल स्टोर संचालित करता रहा, किन्तु कुछ समय पश्चात पुनः परिवादिया के साथ मारपीट एवं दहेज की मांग प्रारम्भ कर दी। अभियुक्त पुनः रामगंजमंडी आ गया तथा वहां भी परिवादिया के साथ लगातार मारपीट करता रहा एवं ₹10,00,000/- की मांग करता रहा। अंततः परिवादिया ने अपने पिता को दूरभाष पर सूचना दी, जिस पर उसके पिता रामगंजमंडी आए तथा परिवादिया को अपने साथ ले जाकर पुलिस थाना रामगंजमंडी में रिपोर्ट प्रस्तुत की . . . इत्यादि।

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रामगंजमंडी द्वारा अपराध क्रमांक 380/2015 धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान पश्चात अभियुक्त अहमद हुसैन के विरुद्ध धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. उक्त आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त को धारा- 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 09 को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत प्रदर्श पी-09 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

06. तत्पश्चात् अभियुक्त के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने उसके विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कोई साक्ष्य-सफाई पेश करनी चाही, जिसमें स्वयं अभियुक्त डी.ड. **01** के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश व परीक्षित हुआ है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदश **डी.-04, डी-04** ए, **डी-06, डी-06** ए, **डी-07** एवं **डी-07** ए पेश कर प्रदर्शित करवाये।

07. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं—

(1) क्या अभियुक्त अहमद हुसैन ने परिवादिया रिहाना बी से विवाह के पश्चात किसी समय दहेज की मांग करते हुए उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की तथा विवाह के समय परिवादिया का स्त्रीधन अभियुक्त को न्यस्त किए जाने के पश्चात् अभियुक्त ने उसे बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में ले लिया अथवा परिवादिया द्वारा मांग किए जाने पर वापस नहीं किया?

(2) यदि उपर्युक्त अपराध सिद्ध होते हैं तो अभियुक्त को क्या दण्ड दिया जाना उचित होगा?

09. अंतिम बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित परिवादिया, उसके पिता तथा अन्य गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा विवाह के पश्चात परिवादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता की गई। यह भी तर्क दिया गया कि अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य एवं अभिलेख पर प्रदर्शित दस्तावेज अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हैं तथा स्त्रीधन भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध संदेह से परे सिद्ध होते हैं और उसे विधि अनुसार दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

10. इसके विपरीत विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन के अधिकांश गवाह परिवादिया के निकट संबंधी अथवा उसके परिचित हैं, जिनकी साक्ष्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। यह भी तर्क दिया गया कि

अभियोजन साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं सुधार पाए जाते हैं, पूर्व में पक्षकारों के मध्य अनेक बार समझौते हो चुके हैं तथा पूर्व के प्रकरणों में अभियुक्त को दोषमुक्त भी किया जा चुका है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा कि कथित स्त्रीधन अभियुक्त पक्ष द्वारा स्वयं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिससे आपराधिक न्यासभंग का कोई तत्व सिद्ध नहीं होता। अतः अभियोजन अपना आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. अवधार्य बिंदुओं के संबंध में विनिश्चयः-

अवधार्य बिंदु संख्या 01 नकारात्मक व अवधार्य बिंदु संख्या 02 भी नकारात्मक रूप में निर्धारित किया जाता है।

अवधार्य बिंदु संख्या 01 के विनिश्चय के कारण -

12. अवधार्य बिंदु संख्या-01 के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन किया जावे, तो प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिया रिहाना बी द्वारा थाना रामगंजमंडी, जिला कोटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 01 इस आशय की दर्ज करवाई गई कि उसका विवाह वर्ष 2003 में अभियुक्त अहमद हुसैन के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय उसके पिता द्वारा मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण, घरेलू उपयोग की सामग्री एवं अन्य सामान दहेज स्वरूप प्रदान किया गया था। विवाह के कुछ समय बाद अभियुक्त द्वारा उससे पहले कार तथा बाद में ₹10,00,000/- की मांग की जाने लगी तथा उक्त मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता करते हुए मारपीट की जाती थी। परिवादिया ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में भी इसी प्रकार की प्रताड़ना के कारण गरोठ में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें समझौता होने के पश्चात कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, किन्तु बाद

में अभियुक्त द्वारा पुनः दहेज की मांग एवं मारपीट प्रारम्भ कर दी गई। अंततः प्रताड़ना से तंग आकर उसने वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिवादीया पी.डब्ल्यू.-01 ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए दहेज मांग, मारपीट तथा स्त्रीधन वापस नहीं करने का कथन किया है। उसने कहा कि अभियुक्त एवं उसके परिवारजन उसके साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करते थे तथा विवाह में दिया गया सामान भी वापस नहीं किया गया। किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के मध्य वर्ष 2008 से ही वैवाहिक विवाद चलते रहे, गरोठ में एकाधिक प्रकरण दर्ज हुए, कई बार राजीनामे हुए तथा दोनों पुनः साथ भी रहे। इससे यह स्पष्ट है कि पति-पत्नी के मध्य दीर्घकालीन वैवाहिक विवाद एवं मनमुटाव की स्थिति पूर्व से ही विद्यमान थी। दौराने प्रतिपरीक्षा अभियुक्त द्वारा कार की मांग किये जाने का कथन किया गया है, परंतु कार की मांग किये जाने के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व स्वयं की सशपथ मौखिक साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया गया है। इसी प्रकार परिवादीया पी.ड. 01 रिहाना शादी होने के बाद से ही अभियुक्त द्वारा दस लाख रूपये की मांग किये जाने का कथन किया गया है, परंतु तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवाह होने के तुरंत पश्चात से ही परिवादीया से 10 लाख रूपये की मांग की गयी। यह भी विचारणीय है कि परिवादिया का विवाह अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में हुआ था तथा परिवाद वर्ष 2015 में संस्थित किया गया है। इस प्रकार विवाह के पश्चात लगभग 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत परिवाद प्रस्तुत किया गया। सामान्य मानवीय आचरण एवं स्वाभाविक घटनाक्रम में 12 वर्षों तक किसी व्यक्ति द्वारा समान धनराशि की मांग निरंतर करते रहना तथा उसके संबंध में कोई शिकायत नहीं किया जाना सहज रूप से संभावित प्रतीत नहीं होता है।

इसी क्रम में पी.डब्ल्यू.-02 मोहम्मद हुसैन, जो परिवादीया के पिता हैं, उक्त साक्षी ने भी दहेज मांग एवं प्रताड़ना का समर्थन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पुलिस कथन में विवाह पूर्व दहेज मांग एवं कार मांगने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में भी अभियुक्त के विरुद्ध गरोठ में दो प्रकरण दर्ज कराए गए थे तथा अनेक अवसरों पर दोनों पक्षों के मध्य राजीनामे हुए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व के प्रकरणों में ₹10,00,000/- की मांग का उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त गवाह ने विवाह में दिया गया सामान अभियुक्त पक्ष की मांग पर दिया जाना बताया है। जबकि स्वयं परिवादिया ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि उक्त सामान अपनी इच्छा से दिया गया था। इस प्रकार दहेज के सामान के संबंध में परिवादिया एवं पी.डब्ल्यू. 02 के कथनों में विरोधाभास परिलक्षित होता है।

इसी अनुक्रम में पी.डब्ल्यू.-03 रियाज मोहम्मद, पी.डब्ल्यू.-04 गंगाराम एवं पी.डब्ल्यू.-05 रामनिवास ने अभियोजन का समर्थन अवश्य किया है, किन्तु इन तीनों गवाहों की प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से किसी ने भी अभियुक्त द्वारा अपने समक्ष दहेज मांग किए जाने अथवा प्रताड़ना की घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी। सभी गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्हें अधिकांश जानकारी परिवादीया अथवा उसके पिता से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार इनकी साक्ष्य मुख्यतः अनुश्रुत प्रकृति की है। पी.ड. 03 रियाज मोहम्मद उर्फ राजू स्वयं के सामने परिवादीया व अभियुक्त के मध्य झगड़ा होने का कथन करता है, परंतु अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष परिवादीया से दहेज की मांग की गयी हो अथवा उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया हो, इस संबंध में कोई कथन पी.ड. 03 रियाज मोहम्मद उर्फ राजू द्वारा नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.-07 मोहम्मद हुसैन एवं पी.डब्ल्यू.-08 निसार अहमद को अभियोजन ने गिरफ्तारी एवं स्त्रीधन जब्ती के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु पी.डब्ल्यू.-07 ने केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि दहेज का सामान उन्होंने स्वयं पुलिस को दे दिया था तथा किसी ने उनसे सामान नहीं छीना। वहीं पी.डब्ल्यू.-08 निसार अहमद ने स्पष्ट कथन किया है कि उसके समक्ष कोई जब्ती अथवा गिरफ्तारी नहीं हुई तथा उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। उसके सामने कोई सामान जब्त नहीं हुआ। इन दोनों गवाहों की साक्ष्य से अभियोजन की जब्ती कार्यवाही पूर्णतः निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं होती।

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.-09 हर्षराज ने अनुसंधान की कार्यवाही का समर्थन किया है, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज सामग्री की कोई सूची अंकित नहीं थी। धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस देने के उपरान्त भी परिवादीया विवाह के फोटो, बिल अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। अनुसंधान अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल किसके धन से खरीदी गई, इसका पृथक अनुसंधान नहीं किया गया। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में गरोठ में दर्ज प्रकरणों तथा उनके परिणामों के संबंध में कोई विशेष अनुसंधान नहीं किया गया।

13. अभियुक्त पक्ष की ओर से स्वयं अभियुक्त अहमद हुसैन द्वारा डीडब्ल्यू.-01 के रूप में उपस्थित होकर उसने यह प्रतिरक्षा ली कि परिवादीया प्रारम्भ से ही अलग रहने का दबाव बनाती थी तथा उसके द्वारा बार-बार झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। उसने पूर्व में गरोठ न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णयों तथा महिला थाना कोटा की कार्यवाही संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। यद्यपि बचाव साक्ष्य मात्र के आधार पर अभियोजन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि यह साक्ष्य

अभियोजन कथानक की सत्यता के संबंध में युक्तियुक्त संदेह अवश्य उत्पन्न करती है।

इसी क्रम में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अधिकांश गवाह परिवादीया के निकट संबंधी हैं तथा स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दहेज मांग के संबंध में पुलिस कथनों एवं न्यायालयीन साक्ष्य में विरोधाभास हैं। पूर्व में अनेक प्रकरण, राजीनामे तथा पुनः साथ रहने की परिस्थितियाँ भी इस न्यायालय को अभियोजन कहानी को अत्यधिक सावधानी से परखने के लिए बाध्य करती हैं। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित एवं संदेह से परे निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अभियुक्त द्वारा धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के आशय की क्रूरता कारित की गई थी।

इसी प्रकार धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में स्त्रीधन अभियुक्त द्वारा बेईमानीपूर्वक अपने पास रख लिया गया अथवा उसका आपराधिक न्यासभंग किया गया प्रतीत नहीं होता है, न तो सम्पूर्ण स्त्रीधन की विश्वसनीय सूची प्रस्तुत की गई, न उसके क्रय संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए और न ही बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग का कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को प्रत्येक आवश्यक तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि उपलब्ध साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्याय का मूल सिद्धांत है।

14. अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अहमद हुसैन ने परिवादिया रिहाना बी से विवाह के पश्चात किसी समय दहेज की मांग करते हुए उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की तथा विवाह के समय परिवादिया का स्त्रीधन अभियुक्त को न्यस्त किए जाने के पश्चात्

अभियुक्त ने उसे बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में ले लिया अथवा परिवादिया द्वारा मांग किए जाने पर वापस नहीं किया। अतः अवधार्य बिंदु संख्या 01 नकारात्मक रूप में निर्धारित किया जाता है।

15. अवधार्य संख्या 02 के विनिश्चय के कारणः-

जैसा कि अवधार्य बिंदु संख्या 01 के संबंध में पूर्वोक्त विवेचन से यह विदित है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अहमद हुसैन ने परिवादिया रिहाना बी से विवाह के पश्चात किसी समय दहेज की मांग करते हुए उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित की तथा विवाह के समय परिवादिया का स्त्रीधन अभियुक्त को न्यस्त किए जाने के पश्चात् अभियुक्त ने उसे बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में ले लिया अथवा परिवादिया द्वारा मांग किए जाने पर वापस नहीं किया। अतः अवधार्य बिंदु संख्या 02 नकारात्मक रूप में निर्धारित किया जाकर अभियुक्त अहमद हुसैन को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आ दे श -

16. परिणामतः **अभियुक्त अहमद हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन, उम्र- 35 साल, निवासी हनुमान मंदर के पास, भीमशंकर कॉलोनी, रामगंजमंडी, पुलिस थाना रामगंजमंडी, जिला कोटा (राजस्थान)** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. प्रकरण में कोई माल जब्त नहीं है। अभियुक्त जमानत पर स्वतंत्र है। अभियुक्त के पूर्व में न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि वह धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस हजार रुपये की जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करें, जो 06 माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

18. चूंकि प्रकरण में जब्तशुदा दहेज/स्त्रीधन का सामान परिवादिया श्रीमती रिहाना को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, अतः बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की स्थिति में उक्त जब्तशुदा माल परिवादिया श्रीमती रिहाना के पास ही यथावत् रहेगा।

(अजय प्रताप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगंजमंडी, जिला-कोटा

19. निर्णय आज दिनांक 18.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय प्रताप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगंजमंडी, जिला-कोटा

VARSHA
AGRAWAL

Steno Gr.IIIrd
"Authenticate
Document"
Digitally signed
by VARSHA
AGRAWAL
Date: 2026.07.20
16:54:52 +0530